



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways Government of India)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई - मेरठ

Project Implementation Unit, Meerut

ए-1, वैष्णो धाम, निकट गायत्री हाईट्स, कंकरखेड़ा, एन.एच.-58, मेरठ-250001

A-1, Vaishno Dham, Near Gayatri Heights, Kankerkhera, NH-58, Meerut-250001

टेलीफोन/Telephone: 0121-2631228 ई-मेल/e-mail: meerut@nhai.org



भा0रा0रा0प्रा0/प0कि0ई0-मेरठ/2022/66012/डी0- 24630

दिनांक: 14.06.2022

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग,

बिजनौर।

विषय:-Construction of Najibabad-Kotdwar Section of NH-119 from 2-lane to 2-lane with paved shoulder under from existing Chainage 120+900 to 138+635 (Design Chainage 120+900 to 137+600) under Bharatmala Pariyojana Bijnor, state of Uttar Pradesh .
(Online Proposal No.FP/UP/ROAD/143597/2021)

संदर्भ:- आपका पत्रांक संख्या-2993/14-1 बिजनौर, दिनांक 10.06.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने संरक्षित वन क्षेत्र में से गुजरने वाले पुराने मार्ग का केवल सुदृढ़ीकरण किये जाने के लिए लिखा गया है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराना है:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग-119 के नजीबाबाद-कोटद्वार खण्ड वर्तमान में 2-लेन (7.00 मी0 चौड़ाई) है एवं इसे 2-लेन with paved shoulder के साथ दोनों तरफ मात्र 1-1 मीटर चौड़ा (9.00 मी0 कुल चौड़ाई) बनाया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त मार्ग पर कोई डिवाइडर नहीं बनाया जा रहा है जिससे वन्य जीवों को आवागमन में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
3. इस परियोजना को भा0रा0रा0प्रा0, मुख्यालय द्वारा 20.05.2021 में स्वीकृत किया गया है।
4. परियोजना हेतु 27.33 है0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन विभाग, लखनऊ उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2021 को स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य वन विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है।
5. इस परियोजना के लिए निविदा भा0रा0रा0प्रा0, मुख्यालय स्तर पर आमन्त्रित की जा चुकी है एवं मै0 अजय प्रकाश एसोशिएट्स को कार्य प्रारम्भ के लिये अनुमति पत्र (Letter of Acceptance) दिनांक 23.03.2022 को जारी किया जा चुका है।
6. उल्लेखनीय यह भी है कि इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमन्त्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2021 को रखी जा चुकी है एवं परियोजना की प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालय द्वारा समय-समय पर की जा रही है।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में आरक्षित वन क्षेत्र में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से केवल पुराने मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जाना उचित नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु Ministry of Environment and Forests (MOEF) को अग्रप्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिनेश कुमार चतुर्वेदी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, गुरादाबाद वृत्त, गुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी-पश्चिमी, उ0प्र0, लखनऊ।